न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर टोंक

प्रकरण संख्या

25/2020

हरतीराम मीना पुत्र श्री हरिराम मीना ग्राम खेड़ीमानपुर पोस्ट सिरस तह0 निवाई जिला–टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक.सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला–टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 3–9–2020**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन प्रेषित/प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर(राजस्व) टोंक द्वारा सूचना उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को अन्तरित कर निम्न वर्णित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। अपीलान्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

1–ग्राम खेडींमानपुर खसरा नम्बर 114 पटवार हल्का बस्सी तहसील निवाई में चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाने के लिए मेरे द्वारा 28–11–2019 को श्रीमान जिला कलेक्टर महो0 टोंक को भेजे गये शिकायत पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई जो कि आपके कार्यालय को स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 2–12–2019 को प्राप्त हुई।

2–अतिक्रमियों द्वारा बार–बार अतिक्रमण कर लिया जाता है। उन पर कोई ठोस प्रशासनिक कार्यवाही संभव है। बताओं

3–यह अतिक्रमण स्थाई रूप से कब तक हटवा दिये जावेंगे।

अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपरिथत नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई से अपील के संवंध मे जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई ने पत्र कमांक 653 दिनांक 2–9–2020 से जवाब प्रेषित किया जिसके अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है ओर न ही किसी प्रकार का जवाब ही प्रेषित किया है। जिला कलेक्टर (राजस्व) के पत्र कमांक 928 दिनांक 4–3–2020 से प्रार्थना पत्र तहसीलदार निवाई को अन्तरित किया गया था उसका भी जवाब में किसी प्रकार का

जिला कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 15:57:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अंकन नहीं है। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि दिनांक 2–12–2029 को आपके कार्याल से पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता हे कि बिन्दु सं0 1 को ध्याान पूर्वक पढा ही नहीं गया है। आवेदक ने बिन्दु सं0 1 में अंकित किया है कि मेरे द्वारा 28–11–2019 को श्रीमान जिला कलेक्टर महो0 टोंक को भेजे गये शिकायत पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई जो कि आपके कार्यालय को स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 2–12–2019 को प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार निवाई पत्र में लिखते हैं कि श्रीमान जी 2–12–2019 का आपके कार्यालय का पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अपीलान्ट सूचना का अधिकिार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलान्ट को सूचना नियमानुसार निर्धारित समयावधि में अपीलान्ट को प्रेषित नहीं की गई है। अतः अपीलन्ट द्वारा चाही गई सूचना तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय प्रति प्राप्ति के 20 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करावें।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई व अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 15:57:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner